सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

साधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 34 राँची, बुधवार 6 पौष, 1939 (श०)

27 दिसम्बर, 2017 (ई०)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग 1–नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ।	939-951
भाग 1–क–स्वयंसेवक गुरुओं के समादेष्टाओं के आदेश ।	
भाग 1–ख--मैट्रिकुलेसन,आई.ए.,आई.एस-सी., बी.ए, बी.एस.सी.,एम.ए.,एम.ए.सी., लॉ भाग1 और 2, एम.बी.बी.एस.,बी.सी.ई.,डिप०-इन-एड., मुख्तारी परीक्षाओं के परीक्षाफल, कार्यक्रम छात्रवृत्ति प्रदान आदि।	
भाग 1-ग–शिक्षा संबंधी सूचनाएँ, परीक्षाफल आदि।	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा	
भाग-2–झारखण्ड राज्यपाल और कार्याध्यक्षो द्वारा निकले गये विनियम, आदेश, अधिसूचनाएँ एवं नियम आदि ।	
भाग 3–भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और उच्च न्यायालय के आदेश, अधिसूचनाएं और नियम 'भारत गज़ट' और राज्य गज़टों से उद्धरण।	

	पृष्ठ
भाग-4–झारखण्ड अधिनियम	
भाग-5–झारखण्ड विधान-सभा में पुरःअस्थापित विधेयक, उक्त विधान-मंडल में उप-स्थापित या उपस्थापित किए जानेवाले प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और उक्त विधान-मंडल में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक ।	
भाग-7–संसद के अधिनियम जिन पर राष्ट्रपति एम.एस.और की अनुमति मिल चुकी है ।	
भाग-8- भारत की संसद में पुरःस्थापित विधेयक, संसद में उपस्थित प्रवर समितियों के प्रतिवेदन और संसद में पुरःस्थापन के पूर्व प्रकाशित विधेयक।	
भाग-9- विज्ञापन	---
भाग-9-क–वन विभाग की नीलामी संबंधी सूचनाएं	
भाग-9-ख–निविदा सूचनाएँ, परिवहन सूचनाएँ, न्यायालय सूचनाएँ और सर्वसाधारण सूचनाएँ इत्यादि।	
पूरक-- ...	...
पूरक "अ" ...	...

भाग 1

नियुक्ति, पदस्थापन, बदली, शक्ति, छुट्टी और अन्य वैयक्तिक सूचनाएँ

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 नवम्बर, 2017

संख्या-1/विविध-803/2016 का॰ - 11382 -- श्री सूरज कुमार, भा.प्र.से. (झाः2013), उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर को निजी व्यय पर मारिसस एवं दुबई (विदेश) की यात्रा की स्वीकृति प्रदान की जाती है। अखिल भारतीय सेवाएं (छुट्टी) नियमावली 1955 के नियम 10,11,12,13,15 एवं 20 के तहत दिनांक 16 नवम्बर, 2017 से 9 दिसम्बर, 2017 तक कुल 24 दिनों के उपार्जित अवकाश (23 नवम्बर, 2017 से 2 दिसम्बर, 2017 तक Ex-India Leave सहित) की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।

2. श्री सूरज कुमार, भा.प्र.से. (झाः2013), उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के अवकाश अवधि में उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर उप विकास आयुक्त, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिन्हा,
सरकार के अवर सचिव।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

22 दिसम्बर, 2017

संख्या-05/स० भू० कोडरमा रेल (DFCCIL)-218/17-6176/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **19 दिसम्बर, 2017** में मद संख्या-**04** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में कोडरमा जिलांतर्गत अंचल-जयनगर के मौजा-धरौजा, थाना सं० **-171,** खाता सं० **-166** एवं प्लॉट सं० **- 3254** में अंतर्निहित कुल रकबा - **0.96** एकड़ गैरमजरुआ खास भूमि किस्म पुरानी परती, विभागीय परिपत्र संख्या-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** की कंडिका-**2 (i)** के अनुसार निर्धारित दर **9,62,227/-** (नौ लाख बासठ हजार दो सौ सताईस) रूपये मात्र के आधार पर संगणित सलामी राशि-**9,23,738/-** (नौ लाख तेईस हजार सात सौ अड़तीस) रूपये मात्र, सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक व्यावसायिक लगान का **25** गुणा पूँजीकृत मूल्य की राशि **11,54,672/-**(ग्यारह लाख चौवन हजार छः सौ बहत्तर) रूपये मात्र, लगान का **145**% सेस का **25** गुणा पूंजीकृत मूल्य की राशि **16,74,275/-** (सोलह लाख चौहत्तर हजार दो सौ पचहत्तर) रूपये मात्र अर्थात् कुल देय राशि **37,52,685/-** (सैंतीस लाख बावन हजार छः सौ पचासी) रूपये मात्र, रेल मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा अदायगी पर **DFCCIL** विशेष रेल

परियोजना हेतु विशेष रेल परियोजना **DFCCIL,** भारत सरकार को सशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

i.) इस शर्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि उपायुक्त**,** कोडरमा प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

ii.) उपायुक्त**,** कोडरमा यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम**, 1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय**,** भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही भूमि विमुक्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

iii.) संबंधित उपायुक्त द्वारा खासमहाल मेनुएल में विनिर्दिष्ट प्रावधान तथा समय-समय पर विभाग द्वारा निर्गत अनुदेश/परिपत्रों का अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जायेगा ।

iv.) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029** भू-राजस्व-**107"** के अंतर्गत जमा होगी ।

v.) यदि परियोजना के अंतर्गत वृक्षादि है तो वैसी स्थिति में वृक्षों की लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

vi.) यदि परियोजना के अंतर्गत अवसंरचना आदि है तो अधियाची विभाग द्वारा अपने स्तर से वैकल्पिक व्यवस्था कराया जाना उपायुक्त**,** कोडरमा सुनिश्चित करा लेंगे ।

vii.) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०**,** दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (I**) में विनिर्दिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान अदायगी पर भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियोजना से संबंधित दर/सलामी**,** लगान एवं सेस सहित राशि में

अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि को संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

viii.) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०**,** दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा**,** परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

ix.) जिस प्रयोजन हेतु भूमि का हस्तांतरण किया जा रहा है**,** उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व**,** निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

अनु० **-** यथोपरि ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से**,**

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

21 दिसम्बर, 2017

संख्या-5/स.भू. हजा० (पकरी-बरवा० कोल)-28/17-6138/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)
झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **5 दिसम्बर, 2017** में मद संख्या-**10** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में हजारीबाग जिलांतर्गत बड़कागाँव अंचल के मौजा-आराहरा के थाना सं०-**55,** खाता सं०-**123** के विभिन्न प्लॉटों का कुल रकबा-**10.17** एकड़ गैरमजरूआ खास भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-**I**) राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा., दिनांक **24 अक्टूबर**, **2014** तथा ज्ञापांक-**48/**रा०, दिनांक **3 जनवरी, 2017** के आलोक में प्रस्तावित भूमि का मूल्य निर्धारित दर के आधार पर संगणित सलामी की राशि **1,01,14,472/- (**एक करोड़ एक लाख चौदह हजार चार सौ बहत्तर) रूपये, सलामी का **1** प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक लगान की कुल राशि रू० **1,01,145/- (**एक लाख एक हजार एक सौ पैंतालीस) रूपये, सेस (लगान का **75** प्रतिशत) की कुल राशि रू० **75,859/-(**पचहत्तर हजार आठ सौ उनसठ) रूपये तथा **29** वर्षों के लिए लगान एवं सेस की कुल राशि **51,33,116/-(**इक्यावन लाख तैंतीस हजार एक सौ सोलह) अर्थात कुल देय राशि रू० **1,54,24,592/-(**एक करोड़ चौवन लाख चौबीस हजार पाँच सौ बानवे) रूपये (विस्तृत विवरणी संलग्न, अनुलग्नक-**II**) मात्र की अदायगी पर **30 (**तीस) वर्षों के लिए पकरी-बरवाडीह कोल माईनिंग प्रोजेक्ट हेतु एन.टी.पी.सी., भारत सरकार के उपक्रम के साथ लीज बंदोबस्ती के संबंध में ।

आदेशः- स्वीकृत ।

1. इस शर्त्त के साथ स्वीकृति दी जाती है कि जल संसाधन विभाग, झारखण्ड सरकार के पत्रांक-**224,** दिनांक **19 मार्च, 2013 (**अनुलग्नक-**III**) के द्वारा पकरी-बरवाडीह कोल माईनिंग प्रोजेक्ट,

एन०टी०पी०सी० को **Rain Water Catchment Drain/Nallah Realignment** पर **Central Water and Power Research Station (CWPRS) Pune** की तकनीकी प्रतिवेदन के आधार पर निम्न शर्तों के साथ सहमति दी गयी है -

i. Clearance by Ministry of Environment & Forest, Government of India for Non-forest use of the forest area be obtained under Forest Conservation Act, 1980.

ii. Environmental clearance be obtained from Ministry of Environment & Forest, Government of India.

iii. The excavated mined area should be replenished as per the approved mining closure plan and to the extent in reference to the existing natural ground profile. This is required to ensure for non-reduction in water availability and no adverse impact on the environment.

iv. The realignment of Dumuhani nala should be done as per the recommendation/suggestion given by Central Water and Power Research Station (CWPRS) Pune given in it's technical report.

2. समूह महाप्रबंधक, पकरी-बरवाडीह कोल माईनिंग प्रोजेक्ट, एन०टी०पी०सी० के पत्रांक-**211,** दिनांक **18 अप्रैल, 2017** एवं पत्रांक-**319,** दिनांक **17 जून, 2017** के द्वारा प्रस्ताव में सन्निहित गैरमजरूआ खास भूमि किस्म नदी के संदर्भ में **Undertaking** दिया गया है जिसके अनुसार नदी का स्वरूप कुछ दूरी के लिए लगभग **500** मीटर तक सीधा किया जायेगा मगर नदी के बहाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा तथा एन०टी०पी०सी० उस जगह पर **Underground mining** नहीं करेगी ।

3. उपायुक्त, हजारीबाग प्रस्तावित भूमि से संबंधित सभी खातों एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात ही भूमि के लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई करेंगे ।

4. उपायुक्त, हजारीबाग भूमि के लीज बंदोबस्ती के समय कुल देय राशि एकमुश्त वसूल करेंगे ।

5. प्रस्ताव में यदि गैरमजरूआ आम भूमि सन्निहित हो तो उक्त के मामले में विधिवत रूप से ग्रामसभा की सहमति प्राप्त करने के पश्चात ही उपायुक्त, हजारीबाग लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई सम्पन्न करेंगे । उपायुक्त, हजारीबाग यह भी सुनिश्चित करेंगे कि अधियाची उपक्रम के द्वारा ग्रामीणों के लिए गैरमजरूआ आम भूमि के बदले वैकल्पिक व्यवस्था की जायेगी ।

6. उपायुक्त, हजारीबाग यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि प्रस्ताव में सन्निहित भूमि वन भूमि अथवा जंगल-झाड़ी भूमि है तो वन संरक्षण अधिनियम, **1980** के तहत् सक्षम प्राधिकार से अनापत्ति

प्रमाण पत्र निर्गत किये जाने तथा पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार से अंतिम स्वीकृति मिलने के उपरांत ही लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी ।

7. राजस्व विभागीय पत्रांक-**92/**स.को., दिनांक **18 फरवरी, 2002** के आलोक में **12** बिन्दुओं पर अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाएगा ।

8. यदि परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि में वृक्ष आदि अवस्थित है तो उनकी लागत मूल्य की गणना कर एकरारनामा के समय अधियाची विभाग से राशि प्राप्त कर ली जायेगी ।

9. राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा., दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के द्वारा सरकारी भूमि के मूल्य का निर्धारित दर/सलामी से संबंधित कंडिका-**2 (i)** में विर्निदिष्ट तीन मापदण्डों के अनुसार ही भूमि के मूल्य की गणना कर उसके भुगतान पर ही भूमि के लीज बंदोबस्ती की कार्रवाई की जायेगी । अगर परियेजना से संबंधित दर/सलामी, लगान एवं सेस सहित राशि में अंतर परिलक्षित होता है तो अंतर राशि संबंधित उपायुक्त द्वारा एकरारनामा करने के पूर्व प्राप्त कर ली जायेगी ।

10. राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा., दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** की कंडिका **4 (g)** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के लीज बंदोबस्ती की तिथि को भूमि के वर्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर ही संबंधित उपायुक्त द्वारा भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का लीज बन्दोबस्ती किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

11. जिस प्रयोजन हेतु भूमि का लीज बंदोबस्ती किया जा रहा है, उसमें भूमि की आवश्यकता नहीं रहने अथवा निर्धारित अवधि तक भूमि का उपयोग नहीं किये जाने पर भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को वापस हो जायेगी ।

12. एन०टी०पी०सी० द्वारा उपर्युक्त कंडिका-**1** एवं **2** में उल्लेखित शर्तों एवं **Undertaking** का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

अनु० - यथोपरि।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक - I

पकरी-बरवाडीह कोल माईनिंग प्रोजेक्ट में पड़नेवाली गैरमजरूआ भूमि की विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा (एकड़ में)	गैर मजरूआ खास/आम भूमि का किस्म
1	14/08-09	बड़कागाँव	आराहरा	55	123	65	0.03	परती नाला
						89	0.31	परती नाला
						128	9.77	नदी
						240	0.02	परती गढ़हा
						242	0.04	परती गढ़हा
कुल योग							10.17	

अनुलग्नक-II

पकरी-बरवाडीह कोल माईनिंग प्रोजेक्ट में पड़नेवाली गैरमजरूआ भूमि की मूल्य विवरणी :-

क्र०	अभिलेख संख्या/ ग्राम	मौजा	रकबा (एकड़ में)	भूमि का मूल्य प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी	लगान	सेस	अन्य (29 वर्षों के लिए रेन्ट+सेस)	कुल	अभ्युक्ति में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	14/08-09	आराहरा	10.17	9,94,540	1,01,14,472	1,01,145	75,859	51,33,116	1,54,24,592	Rent@1% of salami, cess @ 75% of Rent and Rent & cess being charged for 30 years at the time of Lease.

सरकार के संयुक्त सचिव ।

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग

राज्यादेश

20 दिसम्बर, 2017

संख्या-04/स०भू० गुमला (CA)-45/17-6130/रा०,

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

झारखण्ड, पो०-डोरण्डा, राँची ।

विषयः- मंत्रिपरिषद की बैठक दिनांक **5 दिसम्बर, 2017** में मद संख्या-**11** के रूप में लिये गये निर्णय के आलोक में गुमला जिलान्तर्गत अंचल-विशुनपुर के विभिन्न मौजा, थाना, खाता एवं प्लॉटों में सन्निहित कुल रकबा-**500.04** एकड़ गैरमजरूआ किस्म जंगल-झाड़ी भूमि (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**I**) अवर जिला निबंधक, गुमला दिनांक **21 सितम्बर, 2016** द्वारा निर्गत भूमि के मूल्य मार्गदर्शिका पंजी में विनिर्दिष्ट बाजार मूल्य से की गयी गणना के आधार पर सलामी **5,64,93,480/- (**पाँच करोड़ चौसठ लाख तिरानवे हजार चार सौ अस्सी) रूपये मात्र एवं सलामी का **5** प्रतिशत वार्षिक व्यवसायिक लगान तथा लगान**+**सेस का **25** गुणा **17,30,11,275/-** रू० **(**सत्रह करोड़ तीस लाख ग्यारह हजार दो सौ पचहत्तर) रूपये मात्र पूंजीकृत मूल्य एवं प्रस्तावित भूमि पर अवस्थित वृक्षादि की मूल्यांकित राशि **6,24,29,951/-** (छः करोड़ चौबीस लाख उनतीस हजार नौ सौ इक्यावन) रूपये अर्थात कुल देय राशि **29,19,34,706/- (**उनतीस करोड़ उन्नीस लाख चौंतीस हजार सात सौ छः) रूपये मात्र (विस्तृत विवरणी संलग्न अनुलग्नक-**II**) मेसर्स टाटा स्टील लिमिटेड द्वारा भुगतान के आधार पर टाटा स्टील लि० के नोवामुण्डी लौह अयस्क खनन परियोजना के विरूद्ध क्षतिपूरक वनरोपण हेतु वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड के पक्ष में सःशुल्क स्थायी हस्तांतरण के संबंध में ।

आदेशः- **स्वीकृत ।**

i.) जिस प्रयोजन हेतु भूमि दी जा रही है उसमें उसकी आवश्यकता नहीं रहने की स्थिति में भूमि स्वतः राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड को वापस हो जायेगी ।

ii.) उपायुक्त, गुमला द्वारा राजस्व विभागीय संकल्प ज्ञापांक-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014** के आलोक में प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण की तिथि को भूमि के वर्त्तमान मूल्य के आधार पर सलामी एवं लगान तथा सेस की गणना कर अंतर की राशि प्राप्त कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा, परन्तु प्रस्तावित भूमि के मूल्य से यदि कम होता है तो अनुमोदित राशि की ही वसूली कर भूमि का स्थायी हस्तातंरण किया जायेगा । किसी भी परिस्थिति में यह राशि अनुमोदित राशि से कम नहीं होगी ।

iii.) इस हस्तांतरण से प्राप्त राशि बजट शीर्ष **"0029** भू-राजस्व-**107"** के अंतर्गत जमा होगी।

iv.) उपायुक्त, गुमला प्रस्तावित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित सभी खाता एवं प्लॉटों में अंकित रकबा का खतियान एवं अन्य राजस्व कागजातों से सत्यापन एवं मिलान कर आश्वस्त होने के पश्चात् ही भूमि हस्तांतरण की कार्रवाई करेंगे ।

v.) अन्य सभी शर्ते राजस्व विभागीय संकल्प संख्या-**4306/**रा०, दिनांक **24 अक्टूबर, 2014,** इस्टेट मैन्युअल में निहित प्रावधानों एवं समय-समय पर सरकार द्वारा निर्गत निदेशों के अनुरूप लागू होगी ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

उदय प्रताप,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक - I

क्र०	अभिलेख संख्या	अंचल	मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट नं०	रकबा (एकड़ में)	गैरमजरूआ आम/खास किस्म
1	01/10-11	विशुनपुर	अमतीपानी	39	141	188	13.50	जंगल झाड़ी
						255	22.60	जंगल झाड़ी
						385	30.50	जंगल झाड़ी
						519	21.00	जंगल झाड़ी
						2025	42.40	जंगल झाड़ी
						2026	34.00	जंगल झाड़ी
						2114	15.80	जंगल झाड़ी
						2276	49.00	जंगल झाड़ी
						2301	35.00	जंगल झाड़ी
						2483	34.00	जंगल झाड़ी
						2512	14.40	जंगल झाड़ी
						2521	23.00	जंगल झाड़ी
कुल							**335-20**	
2	02/10-11	विशुनपुर	जालीम	66	119	272	10.29	जंगल झाड़ी
						661	12.40	जंगल झाड़ी
						674	16.00	जंगल झाड़ी
						103	10.45	जंगल झाड़ी
कुल							**49-14**	
3	03/10-11	विशुनपुर	हाडूप	65	116	596	35.00	जंगल झाड़ी
						693	69.00	जंगल झाड़ी
						1034	11.70	जंगल झाड़ी
कुल							**115.70**	
सकल कुल योग							**500.04**	

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अनुलग्नक -II

मूल्य गणना विवरणी -

क्र०	अभिलेख संख्या/ ग्राम	रकबा (एकड़ में)	बाजार दर प्रति एकड़ (रूपये में)	सलामी (रूपये में)	सलामी का 5% लगान का पूंजीकृत मूल्य (रूपये में)	लगान का 145% सेस का पूंजीकृत मूल्य (रूपये में)	पूंजीकृत मूल्य (6+7) X 25 (रूपये में)	कुल देय राशि (6+7+8) (रूपये में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01/2010-11	335.20	1,11,000	3,72,07,200	18,60,360	26,97,522	11,39,47,050	15,11,54,250
2	02/2010-11	115.70	1,17,000	1,35,36,900	6,76,845	9,81,425	4,14,56,750	5,49,93,650
3	03/2010-11	49.14	1,17,000	57,49,380	2,87,469	4,16,830	1,76,07,475	2,33,56,855
	कुल	500.04		5,64,93,480	28,24,674	40,95,777	17,30,11,275	22,95,04,755
प्रस्तावित भूमि पर स्थित वृक्षादि का मूल्य								**6,24,29,951**
कुल देय राशि								**29,19,34,706**

अर्थात उनतीस करोड़ उन्नीस लाख चौंतीस हजार सात सौ छः रूपये मात्र ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (साधारण) 34--50 ।